# न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **31/23 (वाद)**

**GCMS No. : 2023/83**

1. श्री जीवनसिंह पुत्र किशनसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी वागरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....वादी

**बनाम**

1. विजयनाथ पुत्र फतेहनाथ जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क निवासी टिलोरा तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. सज्जनकुंवर पुत्री किशनसिंह जी पत्नी विजयसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी पिल्ला (बम्बोरा), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)
3. केसरकुंवर पुत्री नाहरसिंह ज़ी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी वागरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. चन्द्रकुंवर पत्नी नाहरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी वागरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. नेहाल कुंवर पुत्री नाहरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी वागरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. पप्पूसिंह पिता नाहरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी वागरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. भंवरकुंवर पत्नी डूंगरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी वागरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) (तर्क किया दि. 12/10/23)
8. लक्ष्मनकुंवर पुत्री नाहरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी वागरोदा. तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. शम्भुसिंह पिता नाहरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी वागरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. सुल्तानसिंह पिता भगवतसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी वागरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. हरिसिंह पिता नवलसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी वागरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
12. उप पंजीयक अधिकारी, मावली, जिला उदयपुर (राज०)
13. पटवारी, पटवार हल्का भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

**उपस्थित–1.** श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता वादी।

2.श्री भोजपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2

## वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

**निर्णय दिनांक : 25.08.2025**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.09.17 18:28:38 IST
Reason: SelfAttested

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वागरोदा, पटवार क्षेत्र भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 1000, 1001, 1014, 993, 994 किता 5 कुल रकबा 0.6557 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम 25/92 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 21/92 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 के नाम 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 के नाम 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 के नाम 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 के नाम 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 के नाम 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 के नाम 1/12 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित है।
2. यह कि मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के मौरूस श्री किसनसिंह वल्द भेरसिंह उर्फ भेरूसिंह राजपूत थे तथा मौजा वागरोदा की पुरानी आराजी नम्बर 403, 405, 406 (जिनके वर्तमान आराजी नम्बर 993, 994, 1000, 1001, 1014 है) एवं आराजी नम्बर 424 (जिनके वर्तमान आराजी नम्बर 1060, 1061, 1062, 1063, 1064 है) हमारे मौरूस श्री किसनसिंह वल्द भेरसिंह उर्फ भेरूसिंह राजपूत के नाम पर सहखातेदारी हक से दर्ज थी जिन आराजीयात में से आराजी नम्बर 424 रकबा 34 बीघा 9 बिस्वा कृषि भूमि में हमारे मौरूस श्री किसनसिंह ने अपने सम्पूर्ण हक हिस्से में से 8 बीघा कृषि भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिए दिनांक 19.05.1972 को श्री फतेहनाथ पिता पदमाथ राजपूत को विक्रय की थी और इसी हक हिस्से की कृषि भूमि का क्रेता श्री फतेहनाथ को कब्जा सुपुर्द कर दिया था। किन्तु रेवेन्यु एजेन्सी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विक्रय पत्र में विक्रीत हक हिस्से को नजरन्दाज करते हुए मनमाने ढंग से लापरवाही पूर्वक आराजी नम्बर 403. 405, 406, 424 में मुझ वादी के पिता श्री किसनसिंह के नाम दर्ज कुलिया हक हिस्से में से 21/92 हिस्सा को भी श्री फतेहनाथ पिता पदमनाथ राजपूत के नाम पर रद्दोबदल कर दिया और मुझ वादी के पिता का नाम उक्त हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड से कम कर दर्ज कर दिया। जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नही था और केवल आराजी नम्बर 424 के विक्रित हक हिस्से को ही क्रेता श्री फतेहनाथ के नाम पर दर्ज किया जाना चाहिए था। विक्रय पत्र के विपरित जाकर रेवेन्यु ऐजेन्सी द्वारा जो भी रद्दोबदल किया गया है वह हमारे हक अधिकारों के मुकाबले शुन्य एवं निष्प्रभावी हैं। हमारे मौरूस श्री किसनसिंह वल्द भेरसिंह उर्फ भेरूसिंह का निधन हो चुका है जिनके विधिक वारिस में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:28:38 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि उक्त वर्णित आराजी नम्बर 993, 994, 1000, 1001, 1014 के पुराने आराजी नम्बर 403, 405, 406 थे जो मुझ वादी के पिता के नाम पर हिस्सेनुसार खातेदारी हक से दर्ज था और इन आराजीयात में से निहित अपने हक हिस्से को मेरे पिता द्वारा फतेहनाथ को विक्रय नही किया गया था फिर भी रेवेन्यू एजेन्सी ने लापरवाही पूर्वक इन आराजीयात में विक्रय नहीं किये गये निहित हक हिस्से को भी विक्रीत हिस्से के साथ जोड़कर श्री फतेहनाथ के नाम पर दर्ज कर दिया और इस बात की जानकारी होने के बावजूद भी कि इन आराजीयात को फतेहनाथ द्वारा नही खरीदी गई थी फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने पिता फतेहनाथ के मरने पश्चात् विरासत के आधार पर उक्त आराजीयात में अपने पिता के नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्से को अपने नाम प रद्दोबदल करवा लिया जिससे वर्तमान में उक्त आराजीयात में मेरे पिता का अविक्रीत हिस्सा भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर अंकित चला आ रहा हैं। जबकि वाद वर्णित भूमि में निहित हक हिस्से में से मेरे पिता द्वारा इन्च मात्र भूमि भी श्री फतेहनाथ को नही बेची गई थी, न ही इस भूमि पर फतेहनाथ या प्रतिवादी संख्या 1 का कभी कोई कब्जा अधिकार रहा हैं। कब्जा काश्त पहले मेरे पिता का उक्त आराजीयात में निहित अपने हिस्से पर था तथा मेरे पिता के मरणोपरान्त में यादी व प्रतिवादी संख्या 2 काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं जिससे प्रतिवादी संख्या 1 का कोई लेना–देना नहीं हैं और हमारे हक अधिकारों के मुकाबले जो भी रद्दोबदल हुआ है वह अवैध होकर शुन्य निष्प्रभावी है। इसलिये में वादी वाद पत्र की कलम संख्या एक में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुलिया हक हिस्से को मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी हक का घोषित करा राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने का अधिकारी हूँ।

4. यह कि मुझ वादी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है। क्योंकि उक्त वर्णित कृषि भूमि में निहित हक हिस्से में से इन्च मात्र भूमि को भी मेरे पिता द्वारा कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 के पिता को विक्रय नहीं किया था फिर भी रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा गलत तरीके से वाद वर्णित आराजीयात में मेरे पिता के नाम दर्ज हिस्से में से 21/92 वें हिस्से को प्रतिवादी संख्या 1 के पिता फतेहनाथ के नाम पर दर्ज कर दिया और प्रतिवादी संख्या 1 के पिता की मृत्यु पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 ने सभी बातो का ज्ञान होते हुए भी इन आराजीयात में उसके पिता के नाम अंकित हिस्से को विरासत से अपने नाम पर दर्ज करवा लिया। जबकि इसको ऐसा करने का कोई अधिकार नही था। इन भूमियों पर कब्जा पहले हमारे पिता का था तथा पिता के निधनोपरान्त हम वारिसान का अधिकार सहित शांतिपूर्वक चला आ रहा है, इन आराजीयात के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:28:38 IST
Reason: SelfAttested

इन्च मात्र भू भाग पर भी प्रतिवादी संख्या 1 या इसके पिता का कब्जा कभी भी नही रहा है, न वर्तमान में हैं तथा उक्त भूमियां हमारी पैतृक जायदाद हैं। किन्तु वर्तमान में हमारे हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर अंकित होने से यह हमें धमकी दे रहा है कि तुम इस जमीन से अपना कब्जा हटा लेना वरना जबरन ताकत के बल पर तुम्हारा कब्जा हटा दूगा या ऐसे लोगों को जमीन बेच दूंगा जो तुमको डन्डे के बल पर यहां से हटा देगें और कब्जा कर लेगें। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नही हैं। इसलिये मैं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूँ कि प्रतिवादी संख्या 1 वाद वर्णित आराजीयात में अपने नाम दर्ज हिस्से को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा किसी को भी हस्तान्तरित नही करे, वादी को उक्त भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, कब्जा नही करे, प्रवेश नही करे, दखलन्दाजी नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें, मौके व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। प्रतिवादी संख्या 12, 13, 14 को पाबन्द किया जावें कि वे वाद वर्णित कृषि भूमि से संबंधित प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज का पंजीयन नही करे, नामान्तरकरण की कार्यवाही नही करे, किस्म परिवर्तन नहीं करे, रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है। बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से हमको भारी क्षति होगी और उसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मेरे पक्ष में है।

5. यह कि मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 12.03.2023 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद वर्णित कृषि भूमि में अपने नाम दर्ज हक हिस्से को खुर्द बुर्द करने एवं मुझ वादी को उक्त भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकी दी, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

6. अंत में निवेदन किया कि मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावें कि उक्त वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार हमारा नाम राजस्व रेकर्ड खेवट खतौनी जमाबंदी में अंकन कराया जावें और प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जावें। हम वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवा संख्या 1 वाद पत्र की कलम संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:28:38 IST
Reason: SelfAttested

एक में वर्णित आराजीयात में अपने नाम दर्ज हिस्से को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा किसी को भी हस्तान्तरित नही करे, वादी को उक्त भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, कब्जा नही करे, प्रवेश नही करे, दखलन्दाजी नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें, मौके व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। प्रतिवादी संख्या 12, 13, 14 को पाबन्द किया जावें कि वे वाद वर्णित कृषि भूमि से संबंधित प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज का पंजीयन नही करे, नामान्तरकरण की कार्यवाही नही करे, किस्म परिवर्तन नही करे, रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3 से 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 12 से 14 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब दावा पेश नही करना चाहा। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब दावा प्रस्तुत कर काउण्टर वाद प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 2 काउण्टर वाद में वादी द्वारा किए गए कथन ही अंकित करते हुए वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किए जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1, 3 से 11 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही का आदेश होने एवं प्रतिवादी संख्या 2 का स्वीकारात्मक जवाब होने तथा अधिवक्ता वादी द्वारा काउण्टर वाद स्वीकार किए जाने से तनकीयात कायम की आवश्यकता नही रही।

8. प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 स्वयं वादी जीवनसिंह का पेश कर दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। वादी द्वारा दस्तावेज मौजा वांगरोदा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 323 प्रदर्श 1, मौजा वांगरोदा के नामान्तरकरण संख्या 55 की नकल प्रदर्श 2, जमाबन्दी नकल सम्वत् 2031–34 प्रदर्श 3, जमाबन्दी नकल सम्वत् 2035–38 प्रदर्श 4. जमाबन्दी नकल सम्वत् 2039–42 प्रदर्श 5, जमाबन्दी नकल सम्वत् 2044–47 प्रदर्श 6, जमाबन्दी नकल सम्वत् 2048–51 प्रदर्श 7, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.05.72 की सत्यप्रतिलिपि पेज 1 से 4 प्रदर्श 8, मौजा वांगरोदा की नकल जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त राज्य उदयपुर मेवाड प्रदर्श 9, खसरा मिलान पत्रक भू प्रबन्ध विभाग की नकल प्रदर्श 10 करवाए गए। अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया की वाद पत्र एवं काउण्टर वाद स्वीकार कर डिक्री फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:28:38 IST
Reason: SelfAttested

9. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि मौजा वागरोदा की जमाबन्दी महकम्मा बंदोबस्त जागीरात राज्य उदयपुर मेवाड़ सवंत 1998 के खाता संख्या 77/3 पर दर्ज साबिक आराजी नम्बर 403, 405, 406 किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि डुलसिंह वल्द किशोर सिंह एवं किशनसिंह वल्द भेरूसिंह राजपुत के नाम खातेदारी हक से दर्ज थी। इसी प्रकार खाता संख्या 57 पर दर्ज साबिक आराजी नम्बर 424 किता 1 रकबा 34 बीघा 9 बिस्वा भूमि डुलसिंह वल्द किशोर सिंह एवं किशनसिंह वल्द भेरूसिंह राजपुत के नाम खातेदारी हक से दर्ज थी। आराजी नम्बर 424 रकबा 34 बीघा 9 बिस्वा भूमि में से 8 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता फतेहनाथ द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.05.72 से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता किसन सिंह से क्रय की गई। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के नामान्तरकरण से पूर्व भू–प्रबंध की कार्यवाही प्रारम्भ हो गई। भू–प्रबंध विभाग के मिलान पत्र संवत 2022 के अनुसार साबिक आराजी नम्बर 424 के हाल आराजी नम्बर 1060, 1061, 1062, 1063, 1064 कायम किए गए। इसी प्रकार साबिक आराजी नम्बर 403, 405, 406 के हाल आराजी नम्बर 993, 994, 1000, 1001, 1014 कायम किए गए। तत्पश्चात राजस्व कर्मचारियों द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 55 पारित कर प्रतिवादी संख्या 1 के पिता फतेहनाथ के नाम भूमि दर्ज की गई। परन्तु उक्त नामान्तरकरण राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत पारित किया गया। क्योंकि रजिस्टर्ड विक्रय अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता/मौरूस किशनसिंह द्वारा केवल मात्र साबिक आराजी नम्बर 424 में से ही 8 बीघा भूमि का क्रय किया गया था। जिसके हाल आराजी नम्बर 1060, 1061, 1062, 1063, 1064 में ही नामान्तरकरण पारित करना चाहिए था। परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा आराजी नम्बर 403, 405, 406 जिसके हाल आराजी नम्बर 993, 994, 1000, 1001, 1014 में भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि को कम करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम 21/92 हिस्सा अंकित कर दिया गया। उसके पश्चात वादी के कथनानुसार प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का निधन हो जाने के पश्चात उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज करवा ली। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त हाल आराजी नम्बर 993, 994, 1000, 1001, 1014 के साबिक आराजी नम्बर 403, 405, 406 है जिसमें से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता किशनसिंह द्वारा विक्रय नही किया गया। केवल [illegible] साबिक आराजी नम्बर 424 हाल आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:28:38 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 1060, 1061, 1062, 1063, 1064 में से ही 8 बीघा भूमि का विक्रय किया गया था, परन्तु फिर भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा साबिक आराजी नम्बर 424 हाल आराजी नम्बर 1060, 1061, 1062, 1063, 1064 के साथ वादग्रस्त भूमि में भी प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का नाम दर्ज किया गया। जो राजस्व कर्मचारियो की गलती है। क्योंकि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम दर्ज करने का कोई दस्तावेज नही होते हुए भी दर्ज की गई है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि का खातेदार वादी के पिता किशनसिंह थे। उनके निधन के पश्चात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 हो चुके थे। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का नाम केवल मात्र राजस्व कर्मचारियो की त्रुटि के कारण अंकित हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के निधन के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज हो गया। न्यायालय का यह भी अभिमत है कि राजस्व कर्मचारियो की त्रुटि के कारण किसी का नाम राजस्व जमाबंदी में दर्ज होने से वह उस भूमि का खातेदार नही हो सकता है। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियो द्वारा की गई त्रुटि सुधारा जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 1 भी बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नही हुआ, जिससे जाहीर होता है कि वादी का वाद एवं एवं प्रतिवादी संख्या 2 का काउण्टर वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा पुनः वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता किशन सिंह का मानते हुए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नही है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 को यदि कोई आपत्ति होती तो वह अवश्य ही न्यायालय में उपस्थित होता। ऐसे में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का काउण्टर वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

## **—: : आदेश : :—**

परिणामस्वरूप वादी का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 2 का काउण्टर वाद स्वीकार किये जाकर डिक्री किये जाते है कि ग्राम वागरोदा पटवार हल्का भीमल तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 323 पर दर्ज आराजी नम्बर 1000, 1001, 1014, 993, 994 किता 5 कुल रकबा 0.6557 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 विजयनाथ पुत्र फतेहनाथ के नाम दर्ज 2/[illegible] हिस्सा खातेदारी हक से दर्ज है, के बजाय वादी जीवनसिंह पिता किशनसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 2 सज्जनकुंवर पुत्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:28:38 IST
Reason: SelfAttested

किशनसिंह को संयुक्त रूप से 21/92 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। साथ ही तहसीलदार मावली को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त आदेशानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज किये जावे तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रहन को इसी ग्राम वागरोदा की आराजी नम्बर 1061, 1062, 1063, 1064 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि पर अंकित किया जावे। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:28:38 IST
Reason: SelfAttested

# डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली**

**बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.**

उनवान्

1. श्री जीवनसिंह पुत्र किशनसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी वागरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

............वादी

**बनाम**

1. विजयनाथ पुत्र फतेहनाथ जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क निवासी टिलोरा तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. सज्जनकुंवर पुत्री किशनसिंह जी पत्नी विजयसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी पिल्ला (बम्बोरा), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)
3. केसरकुंवर पुत्री नाहरसिंह ज़ी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी वागरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. चन्द्रकुंवर पत्नी नाहरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी वागरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. नेहाल कुंवर पुत्री नाहरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी वागरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. पप्पूसिंह पिता नाहरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी वागरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. भंवरकुंवर पत्नी डूंगरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी वागरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) (तर्क किया दि. 12/10/23)
8. लक्ष्मनकुंवर पुत्री नाहरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी वागरोदा. तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. शम्भुसिंह पिता नाहरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी वागरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. सुल्तानसिंह पिता भगवतसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी वागरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. हरिसिंह पिता नवलसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी वागरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
12. उप पंजीयक अधिकारी, मावली, जिला उदयपुर (राज०)
13. पटवारी, पटवार हल्का भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## मुकदमा न0 : 31/23 (वाद) GCMS No. – 2023/83

यह मुकद्धमा आज वास्ते हुक्म फैसला कतई रूबरू रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:28:38 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 2 का काउण्टर वाद स्वीकार किये जाकर डिक्री किये जाते है कि ग्राम वागरोदा पटवार हल्का भीमल तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 323 पर दर्ज आराजी नम्बर 1000, 1001, 1014, 993, 994 किता 5 कुल रकबा 0.6557 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 विजयनाथ पुत्र फतेहनाथ के नाम दर्ज 21/92 हिस्सा खातेदारी हक से दर्ज है, के बजाय वादी जीवनसिंह पिता किशनसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 2 सज्जनकुंवर पुत्री किशनसिंह को संयुक्त रूप से 21/92 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। साथ ही तहसीलदार मावली को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त आदेशानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज किये जावे तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रहन को इसी ग्राम वागरोदा की आराजी नम्बर 1061, 1062, 1063, 1064 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि पर अंकित किया जावे। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 25.08.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:28:38 IST
Reason: SelfAttested